7

राजस्थान सरकार
कार्यालयः राजस्थान, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
हैण्डलूम हवेली अशोक मार्ग सी–स्कीम जयपुर 302001

क्रमांकःएफ11(1)राआ/जिमं/अ/नि/2016/339 दिनांकः21.11.2016

विज्ञप्ति

राज्य के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच बांसवाडा, सिरोही, जोधपुर प्रथम, जोधपुर द्वितीय, झालावाड, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, टोंक एवं भरतपुर में **अध्यक्ष** के वर्तमान में 09 रिक्त पदों हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष पद हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 10(1)(क) के अनुसार, जो वर्तमान में जिला न्यायाधीश, हैं या रह चुके हैं या जिला न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, पात्र होगें ।

सेवारत जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी को अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से ही अग्रेषित करना होगा।

सेवानिवृत जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी अथवा जो जिला न्यायाधीश होने के लिए अर्हता रखते हैं, वे आवेदक अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में सीधे ही रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के कार्यालय में भिजवा सकते हैं।

आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटाई–बढाई जा सकती है एवं पदस्थापन के स्थान में बदलाव किया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन/स्थानान्तरण राज्य के किसी भी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच में किया जा सकेगा।

यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 10 की उपधारा 1(क) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की अभिशंषा पर राज्य सरकार द्वारा की जावेगी। इस हेतु चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु भी बुलाया जा सकेगा। साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय या अन्य कोई व्यय का पुनर्भरण नहीं किया जावेगा।

नियत समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले, बिना प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति के, बिना फोटोग्राफ, बिना हस्ताक्षर या किसी भी कमी के साथ अपूर्ण आवेदन पत्रों को बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिये जावेंगे।

आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि 30.12.2016 के कार्यालय समाप्ति तक है। उक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(राजेश चन्द्र गुप्ता) 21.11.2016
रजिस्ट्रार
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ11(1)राआ/जिमं/अ/नि/2016/340–482 दिनांकः 21.11.2016
प्रतिलिपि–

1. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर को निदेशक,उपभोक्ता मामले विभाग,राजस्थान सरकार का पत्र संख्या एफ 89(8)उ.मा.वि./उ.मा.वि/उ.सं./2011 जयपुर, दिनांक 02.09.2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित है।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर
3. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग,राजस्थान,जयपुर

निरन्तर .. 2

4. राजस्थान राज्य के समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, पारिवारिक न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं समस्त जिला न्यायाधीश स्तरीय प्राधिकरण को सूचनार्थ एवप्रचार–प्रसार एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित की जा रही है।

5. सूचना पट्ट – कार्यालय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर

(राजेश चन्द्र गुप्ता)
रजिस्ट्रार
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
राजस्थान, जयपुर

Application for the post of President of the District Consumer Disputes Redressal Forum.

Please affix your Recent Photograph

(a) (i) Full Name (in English)

(ii) नाम (हिन्दी में)

(b) Father/Husband Name

(c) Date of Birth & Age as on 30.12.2016

(d) Address with telephone Nos., fax, Email etc.

(i) Permanent Residential address

(ii) Present Address

(iii) Office address

(e) Educational & Professional Qualification (Graduation and onwards):

S.No.	Examination	University	Year in which passed	Division
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

(f) Date of joining service

(g) (i) Present Designation (In case of serving officer)

(ii) Last post held (in case of retired officer)

(h) Pay scale and Basic Pay

(i) Date of Superannuation

(j) Experience of at least past 10 years (in descending order)

S.No.	Position Held	Name & Address of the Office	Period (From-to)	Nature of Work handled
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

(k) Experience at Bar (furnish details)

(l) Identification Mark
(1)

(ii)

(m) Does the applicant have more than one living spouse? Yes/ No

(n) Does the applicant attract any of the disqualification/criteria as stated in the Consumer Protection Act, 1986 or the rules made under it? If yes, furnish details thereof.

(o) Whether any PE/DE is pending against the applicant? If yes, furnish details thereof.

(p) Whether any penalty has been imposed against the applicant in any DE? If yes, furnish details thereof.

(q) Whether any adverse entry has been made against the applicant in the annual confidential Report ? If yes, furnish details thereof.

(r) Whether the applicant had earlier applied for the post? If yes, furnish details thereof.

(s) Whether the applicant had ever been prosecuted/arrested or convicted/released on probation by any court? If yes, give the details.

(t) Whether any criminal proceeding by way of FIR or private complaint is pending against the applicant? If yes, furnish details thereof.

(u) Any other accomplishments/information, the applicant may like to furnish.

(v) Enclosure:

(1) Attested copy of Birth Certificate

(2) Attested copy of Educational Qualification (mark sheet/certificate)

(3) Attested copy of Enrolment Certificate

(4) Certificate of experience at Bar.

(5) Attested copy of Order of superannuation

Signature.

(Name)

DECLARATION

I--do hereby declare that the above information is true & correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed by me.

Signature

(Name)

Place
Date